

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

सं०सं०-वि०-27 / पे०को०-137 / 2008

विषय:- 01.01.2006 के बाद के राज्य सरकार के पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आलोक दिनांक 1.1.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

1 षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-P&PW(A) दिनांक 02.09.2008 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया है । उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में केन्द्र सरकार के तत्संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नरूप से पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है :-

2 दिनांक 01.01.2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत होनेवाले सरकारी सेवकों को पेंशन तथा उपदान की स्वीकृति -

(i) परिभाषा

'परिलब्धि' से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति तिथि अथवा सेवा काल में मृत्यु की तिथि को अनुमान्य बैण्ड वेतन, ग्रेड वेतन का योग ।

(ii) पेंशन

(अ) आदेश निर्गत की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होनेवाले पेंशनर का पेंशन निर्धारण

(क) बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले वैसे सरकारी सेवक पेंशन के हकदार नहीं होंगे जिन्होंने सेवा निवृत्ति की तिथि को 10 वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है ।

(ख) पूर्ण पेंशन की स्वीकृति हेतु 33 वर्षों की अर्हक सेवा की शर्त समाप्त कर दी गयी है । जिस सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति की तिथि को 20 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा ।

(ग) जिस सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति की तिथि को 10 वर्षों से अधिक किन्तु 20 वर्षों से कम सेवा पूरी की है, उसकी पेंशन उपरोक्त कड़िका 2 (ii) (ख) के अनुसार गणना की गई पेंशन की राशि को आनुपातिक रूप से कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।

(घ) कडिका 2. (ii) में वर्णित पेंशन गणना का पुनरीक्षित प्रावधान आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा और उक्त तिथि को या उस के बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर लागू होगा ।

(ब) 01.01.2006 से आदेश निर्गत की तिथि तक सेवा निवृत्त हुए पेंशनर का पेंशन निर्धारण

(क) जो सरकारी सेवक 01.01.2006 तथा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच 33 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर सेवा निवृत्त हुआ है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा; किंतु इस अवधि में जो सरकारी सेवक 33 वर्षों से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।

(ख) 01.01.2006 तथा 31.10.2006 के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के मामले में औसत परिलब्धि की गणना निम्न राशियों को जोड़ कर की जायेगी :

(1) 01.01.2006 से सेवा निवृत्ति की तिथि के बीच की अवधि में पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त बैड वेतन तथा ग्रेड वेतन

(2) शेष अवधि जो 01.01.2006 के पूर्व पड़ती है उस के लिए निम्नांकित राशियों का योग

(a) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता की राशि

(b) फिटमेंट लाभ के रूप में अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (महंगाई वेतन छोड़कर) का 40%

(iii) इस प्रकार स्वीकृत की गई पेंशन की राशि 3,500 रुपये से कम नहीं होगी ।

(iv) चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः पेंशन निर्धारण/ पुनरीक्षण औपबधिक होगा । उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद पेंशन का अन्तिम निर्धारण किया जाएगा ।

(v) **अतिरिक्त पेंशन** : 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा:-

पेंशनधारी की उम्र

80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम
100 वर्ष या उससे अधिक

अतिरिक्त पेंशन की राशि

मूल पेंशन का 20%
मूल पेंशन का 30%
मूल पेंशन का 40%
मूल पेंशन का 50%
मूल पेंशन का 100%

(vi) उपदान :

(क) मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान की गणना संबंधी वर्तमान प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे परंतु उपदान की अधिकतम सीमा 3.50 लाख रु० से बढ़ाकर 10 लाख रु० की जाती है ।

(ख) 01.01.2006 के उपरांत तथा आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हुए सरकारी सेवकों को देय उपदान की गणना उनके अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर होगी । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उनके लिए उपदान की पुरानी अधिसीमा (3.50 लाख) ही लागू रहेगी ।

(vii) पारिवारिक पेंशन :

(क) पारिवारिक पेंशन की राशि संबंधित सरकारी सेवक के अंतिम मूल वेतन का 30% होगी ।

इस प्रकार स्वीकृत की गई पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रुपये से कम नहीं होगी ।

(ख) चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः पारिवारिक पेंशन निर्धारण/ पुनरीक्षण औपबंधिक होगा । उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद पारिवारिक पेंशन का अन्तिम निर्धारण किया जाएगा ।

(ग) वैसे सरकारी सेवकों के मामले में, जो सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वर्द्धित दर पर परिवार पेंशन की गणना पूर्व के प्रावधानों के अनुसार होगी तथा वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की राशि मृत्यु की तिथि से 10 वर्षों तक अनुमान्य होगी एवं इसके लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी । पेंशनधारी की मृत्यु के उपरांत देय वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि पूर्ववत् रहेगी ।

(घ) 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पारिवारिक पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा :-

पारिवारिक पेंशन की उम्र

80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम-
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम-
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम-
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम-
100 वर्ष या उससे अधिक-

अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की दर

मूल पारिवारिक पेंशन का 20%
मूल पारिवारिक पेंशन का 30%
मूल पारिवारिक पेंशन का 40%
मूल पारिवारिक पेंशन का 50%
मूल पारिवारिक पेंशन का 100%

(viii) पेंशन का रूपान्तरण :

(क) मूल पेंशन के 40% तक पेंशन रूपान्तरण की वर्तमान सुविधा जारी रहेगी ।

(ख) पेंशन रूपान्तरण के लिए प्रयुक्त होने वाली वर्तमान तालिका को अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध तालिका से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।



- (ग) पेंशन रूपान्तरण के लिये अनुलग्नक-1 की तालिका का उपयोग आदेश निर्गत होने की तिथि को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के मामले में किया जायेगा ।
- (घ) 01.01.2006 के उपरान्त तथा इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवकों के पेंशन रूपान्तरण की गणना का आधार उनका अपुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन होगा तथा रूपान्तरित राशि की गणना पुरानी रूपान्तरण तालिका के अनुरूप होगी ।
- (ix) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाले सरकारी सेवक का पेंशन निर्धारण : अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले जो सरकारी सेवक 01.01.2006 या उस के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, उनके पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान का निर्धारण निम्न रूपेण किया जायेगा :
- (क) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाले जो सरकारी सेवक आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद सेवा निवृत्त होते हैं उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा । इन मामलों के लिए 'परिलब्धि' से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अपुनरीक्षित वेतन, महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ता का योग । जहाँ तक पेंशन हेतु अर्हक सेवा का प्रश्न है वह इस संकल्प के कंडिका 2 (ii) (अ) के अनुसार होगी ।
- (ख) अपुनरीक्षित वेतनमान में बने रहने वाला जो सरकारी सेवक 01.01.2006 तथा आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच 33 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर के सेवा निवृत्त हुआ है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा; किंतु इस अवधि में जो सरकारी सेवक 33 वर्षों से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवा निवृत्त हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।
- (ग) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि रु० 3.50 लाख तक सीमित रहेगी ।
- (घ) पेंशन रूपान्तरण की गणना पेंशन पुनरीक्षण सम्बंधी आदेश निर्गत होने के पूर्व प्रभावी तालिका के अनुसार की जायेगी ।
- (ङ) पारिवारिक पेंशन के लिए पेंशन पुनरीक्षण सम्बंधी आदेश निर्गत होने के पूर्व प्रावधान प्रभावी रहेंगे और इसकी गणना सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त अपुनरीक्षित मूल वेतन के आधार पर की जायेगी । इस प्रकार गणना की गई राशि में कंडिका ix (क) के अनुसार महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ता की राशि जोड़ी जाएगी ।



(x) **महंगाई राहत:** पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन की राशि पर महंगाई राहत संलग्न तालिका (अनुलग्नक-2) के अनुसार देय होगी तथा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित महंगाई राहत अनुमान्य होगी ।

(xi) **बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन :**

(क) 01.01.2006 या उसके बाद किंतु 01.04.2007 के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को वैचारिक रूप से किया जायेगा और उसका आर्थिक लाभ 01.04.2007 के प्रभाव से प्राप्त होगा । उन्हें 01.04.2007 से आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व माह तक की अवधि के लिए बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय होगा किंतु 01.04.2007 के पूर्व की अवधि के लिए कोई बकाया देय नहीं होगा ।

(ख) दिनांक 01.04.2007 से आदेश निर्गत होने की तिथि के बीच सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवकों को सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि से आदेश निर्गत होने के पूर्व माह तक की अवधि के लिए बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय होगा ।

3. **पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान :** पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान सितम्बर 2009 से आरम्भ किया जाएगा ।

4. **बकाया पेंशन का भुगतान:** पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि के बकाया का भुगतान पूर्व में भुगतान किए गए पेंशन, महंगाई पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि को समायोजित करते हुए तीन वार्षिक किश्तों में निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

वर्ष 2009-10 : 15 प्रतिशत

वर्ष 2010-11 : 40 प्रतिशत

वर्ष 2011-12 : 45 प्रतिशत

5. **भुगतान की प्रक्रिया :**

(i) पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक/कोषागार/उप कोषागार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान महंगाई राहत सहित सितम्बर 2009 से आरम्भ कर देंगे । इसके अतिरिक्त वे 2009-10 में भुगतेय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 15% राशि का भुगतान भी करेंगे ।

(ii) पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रविष्टि पी०पी०ओ० के दोनों अर्द्धान्शों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की सूचना अनुलग्नक-3 के प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ताकि वे अपने कार्यालय में संधारित पी०पी०ओ० पंजी को अद्यतन कर सकें । पेंशन वितरण प्राधिकार महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से अनुलग्नक-3 में भेजी गई सूचना की प्राप्ति रसीद ले लेंगे ।

6. बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझो जायेंगे ।

7. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/परिषद् कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना, अध्यक्ष बिहार विधान सभा एवं सभापति बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(भानु प्रताप शर्मा)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक- 23/9/09

ज्ञापांक- वि०-27/पे०को०-137/2008

819

प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भानु प्रताप शर्मा)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक- 23/9/09

ज्ञापांक- वि०-27/पे०को०-137/2008

819

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/निबन्धक उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/परिषद् सचिवालय/सभी समाहर्ता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा/सभी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भानु प्रताप शर्मा)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक- 23/9/09

ज्ञापांक- वि०-27/पे०को०-137/2008

819

प्रतिलिपि- संकल्प की 20 प्रतियों के साथ बिहार पेंशनर समाज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भानु प्रताप शर्मा)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक- 23/9/09

ज्ञापांक- वि०-27/पे०को०-137/2008

819

प्रतिलिपि- ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना एवं अधीक्षक राजकीय लेखन सामग्री, पटना से अनुरोध है कि बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 1500 प्रतियाँ पेंशन प्रशाखा, वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

(भानु प्रताप शर्मा)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

REVISED COMMUTITION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM

Age on next Birth day	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age on next Birth day	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age on next Birth day	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.04	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

[Basis: LIC (94-96) Ultimate Tables and 8.00% interest]

पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अनुमान्य महंगाई राहत

प्रभाव की तिथि	महंगाई राहत की दर (प्रति माह)
1 जनवरी 2006 से	शून्य
1 जुलाई 2006 से	2 प्रतिशत
1 जनवरी 2007 से	6 प्रतिशत
1 जुलाई 2007 से	9 प्रतिशत
1 जनवरी 2008 से	12 प्रतिशत
1 जुलाई 2008 से	16 प्रतिशत
1 जनवरी 2009 से	22 प्रतिशत

FORM OF INTIMATION BY THE PENSION DISBURSING AUTHORITY TO THE OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR REGARDING CONSOLIDATION OF PENSION/FAMILY PENSION IN TERMS OF FINANCE DEPARTMENT MEMORANDUM NO.....

1. Name of the Pensioner/Family Pensioner
2. P.P.O.
3. Date of Birth/Age
4. Date of retirement/Death (in case of family pension)
5. Scale of pay on the date of retirement/Death
6. Corresponding pay band and grade pay/scale w.e.f. 1st January 2006
7. Savings Bank A/C No.
8. Name of the Bank/Paying Branch
9. Bank Code No.

COMPUTATION OF PENSION

PART A

10. Computation of consolidated pension/family pension

***Pension/*Family Pension/*Family Pension (At enhanced rate)**

Pension	Family Pension/Enhanced Family Pension
(A) Existing basic pension (inclusive of commuted portion) (excluding the effect merger of merger of 50% of dearness relief).	(A) Existing basic Family pension/Enhanced family pension (excluding the effect of merger of 50% of dearness relief)
(B) Dearness pension	(B) Dearness pension
(C) Dearness Relief as on 1st January 2006 i.e. 24% of (A)+(B) above	(C) Dearness Relief as on 1st January 2006 i.e. 24% of (A)+(B) above
(D) 40% of the Basic Pension as at (A) above	(D) 40% of the Basic Family Pension as at (A) above
(E) Consolidated Pension (A+B+C+D)	(E) Consolidated Family Pension (A+B+C+D)

(*If not applicable draw a line across)

PART B

11. Computation of consolidated pension/family pension in terms of para..... memo dated.....

Pension	Family Pension
(i) 50% of the minimum of the Pay Band+ Grade pay	30% of the minimum of the pay band/pay scale+Grade pay (where applicable)
(ii) Qualifying service (maximum of 33 years Pension: (i)x(ii) ----- 33	Family Pension:30% of the minimum of the pay band/pay scale+Grade Pay (where applicable)

12. Pension/family pension actually paid (i.e. part A or Part B whichever is higher)

.....

Signature